न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 46 / 2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री खान मोहम्मद खाँ, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेश साहू पुत्र श्री रामप्रसाद साहू, पॉवर हाउस के पास, मसूदा, रोड, खरवा, मसूदा, जिला–अजमेर ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.07.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 11.04.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डारों का अवैध भण्डाराण तथा रिफलिंग की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थी की दुकान की जांच करने पर 26 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 व्यावसायिक सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	153385-S	BPC	15.6	29.2	13.6	Domestic
2	138761	BPC	15.8	30.0	14.2	Domestic
3	0226134	BPC	16.0	30.2	14.2	Domestic
4	265847	BPC	15.6	29.6	14.0	Domestic
5	98708	BPC	15.7	29.7	14.0	Domestic
6	666862	BPC	15.6	29.8	14.2	Domestic
7	0556275	BPC	15.6	29.8	14.2	Domestic
8	838314	BPC	15.6	29.8	14.2	Domestic
9	109199	BPC	16.0	30.0	14.0	Domestic
10	816508	BPC	15.5	29.7	14.2	Domestic
11	935740	BPC	16.4	30.6	14.2	Domestic
12	308389	BPC	15.7	29.9	14.2	Domestic
13	156625	BPC	15.6	29.8	14.2	Domestic
14	274616	BPC	15.7	29.6	13.9	Domestic
15	657868	BPC	15.8	30.0	14.2	Domestic
16	974334	BPC	15.3	29.1	13.8	Domestic
17	163269	BPC	17.2	17.2	0.0	Domestic

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

18	182858	BPC	15.8	15.8	0.0	Domestic
19	332886	INDANE	15.7	29.9	14.2	Domestic
20	658127	INDANE	15.7	29.7	14.0	Domestic
21	909934	INDANE	15.7	29.9	14.2	Domestic
22	132370	INDANE	15.7	29.6	13.9	Domestic
23	319565	INDANE	15.8	30.9	14.2	Domestic
24	078992	INDANE	15.8	30.0	14.2	Domestic
25	080845	INDANE	15.7	29.9	14.2	Domestic
26	0383104	BPC	15.6	29.8	14.2	Domestic
27	06572	INDANE	19.2	19.2	0	Commercial
28	459188	INDANE	19.3	19.3	0	Commercial
29	अपठित	INDANE	19.4	19.4	.0	Commercial

02 छोटे अप्रमाण्ति सिलेण्डर, 02 रिफिलिंग पम्प, 05 बाँसूरी तथा 15 घरेलू गैस ग्राहक कार्ड (गैस डायरी) भण्डारित करना पाया गया। उपरोक्त सिलेण्डरो के प्राप्ति, खरीद एवं भण्डारण बाबत् अप्रार्थी के पास कोई अनुमति नही है, ना ही मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डाराण बिक्री तथा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख), 4(1) (क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः कब्जेराज लिये गये 26 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 व्यावसायिक सिलेण्डर, 02 छोटे अंप्रमाणित सिलेण्डर मय 338.4 किलोग्राम एल.पी.जी., 02 रिफिलिंग पम्प, 05 बाँसूरी राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर खरवा इण्डेन ग्रामीण वितरक, गैस ऐजेन्सी, खरवा के मैनेजर श्री दिनेश पंदावत पुत्र श्री सौभागमल को को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 26 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 व्यावसायिक सिलेण्डर, 02 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर मय 338.4 किलोग्राम एल.पी.जी., 02 रिफिलिंग पम्प, 05 बाँसूरी को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 11.04.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डाराण बिक्री तथा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डाराण बिक्री तथा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख), 4(1) (क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 26 घरेलू गैस सिलेण्डर, 03 व्यावसायिक सिलेण्डर, 02 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर मय 338.4 किलोग्राम एल.पी.जी., 02 रिफिलिंग पम्प, 05 बाँसूरी को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

उनके द्वारा जरिये जवाब भी प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन नहीं किया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डाराण बिक्री तथा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डाराण बिक्री तथा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1)(ख), 4(1) (क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। कब्जेराज लिये गये 26 घरेलू गैस सिलेण्ड़र, 03 व्यावसायिक सिलेण्डर, 02 छोटे अप्रमाणित सिलेण्डर मय 338.4 किलोग्राम एल.पी.जी., 02 रिफिलिंग पम्प, 05 बाँसूरी को राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner